
की प्रीप्त कि प्राप्त होने की तारीख पिन के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

विक्री इत्यादि की आयं समिलित है)

उप पंजीयक रिज्याजाक सिर्मा के हस्ताक्ष N OJEO



- मनके महाराज पृब्लिक स्कूल संस्थान सांखणताल जरिये अध्यक्ष राजेश कुमार उम्र 33 साल, पुत्र श्री बजरंग राम जाति जाट भूगिकन सांखणताल तहसिल राजगढ़ जिला चूरू का है।

श्वाकिन सांखणताल तहसिल राजगढ़ जिला चूरू का है।

 — जिसे आगे विकेता मुकिर कहा गया है। एवं जो इस बैनामा की प्रथम पक्षकार है।

03



राजस्थान RAJASTHAN

9 9 100 ---

659618

— कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांखणताल जरिये सूचिव सुनिल कुमार उम्र 35 साल, पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट सूचिव सांखणताल तहसिल राजगढ़ जिला चूरू का है।

— जिसे आगे केता कहा गया है एवं जो इस बैनामा का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निस्पादन किया गया है।

- जो कि वाके रोही ग्राम मौजा सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला चुरू में कृषि भूमि खाता नं. 81 खसरा नम्बर 335 रकबा 0.40 हेक्टेयर गै.मु.स्कूल चाही कुल खसरा 1 कुल क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर लगानी 2.25 रूपये की खातेदारी में मुकिर प्रथम पक्ष महाराज पब्लिक स्कूल संस्थान सांखणताल जरिये अध्यक्ष राजेश कुमार पुत्र श्री बजरंग राम जाति जाट सांखणताल कि कहिसाल राजगढ़ जिला चूरू के नाम से खातेदारी की

The

53-



्राजस्थान RAJASTHAN

659610

वाके है। उक्त खरिद कि हुई भूमि में से 1 बिघा यानी 2529 वर्गमीटर यानी 0.253 हेक्टर भूमि का कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ चूरू से जरिये संपरिवर्तन आदेश दिनांक 28/12/2005 के द्वारा वाणिज्यिक महाराज पदिसंक स्कूल संस्थान सांखणताल हेतु परिवर्तन करा लिया मुकीर की उक्त भूमि आज तक हर प्रकार के भार व रहन वगेरा के इन्तकालात से पाक व साफ है। जो राजस्थान भूमि (अन्तरण) पर निबन्ध अध्यादेश दिनांक 17 — 2— 76 ई. की घारा 3 व 4 से मुक्त है। भूमि मजकूर की मिट्टी बालु है सिचाई का कोई साधन नहीं है भूमि आबादी गांव से 2 किलोमीटर की दुरी पर है। व सडक के पास है आवागमन प्रत्येक साधन है उक्त भूमि मुकीर की खालिश खातेदारी की है जिस पर मुकीर मालिक व काबिज है। चूंकि मुकीर को खर्चे के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिये मुकीर अपनी उक्त कृषि भूमि खाता नं. 81 खसरा नम्बर 235 रकबा 0.40 हेक्क्वेयर गै.मु. स्कूल में से सपरिवर्तन आदेश की 2529 वर्गमीटर यानी 0.253 हेक्ट्रेयर वाके रोही सांखणताल तहसील राजगढ़ जिला चुरू 'मजकूरा वाला'

35-




राजस्थान RAJASTHAN

659609

को इसय जमी हदूद व हंकूंक व चारों ओर की सीमा व वृक्षों सहित अपने खर्चे की पूर्ति हेतू रूपये 15,00,000 अखरे रूपये पन्द्रह लाख नकद मुदा प्रचलैन में कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांखणताल जरिये सचिव सुनिक्र्ल कुमार उम्र 35 साल, पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट साकिन सांखणताल तहसिल राजगढ़ जिला चूरू को बैय कतई व फरोख्त करदी है और जरे समन नकद तमाम व कमाल बतोर पेशगी खुद क्रेता से वसूल पालिये है जरे समन भी बाबत क्रेता के जिम्मे कुछ बाकी नहीं रहा है। मुकीर ने आराज़ी मुबैया को अपने कब्जा व अधिकार में से निकालकर उस पर फब्जा व दखल केता का मोका पर करा दिया है। इस बैय मे हमारा अन्य कोई व्यक्ति सहीम व शरीक नहीं है अगर कोई सख्स सहीम व शरीक पैदा होकर किसी प्रकार का उजर व दावा करे या कोई बारे किफालत भूमि मुबैया पर साबित हो और वो रूपया क्रेता को अदा करना पड़े तो क्रेता को अखत्यार है कि हस्ब राये खुंद अदालत मजाज मे नालिश करके दखल हार्सिल करे या जरे समन अपना या जो रुपया बगर्ज महफूजी जमीन देना पडे । बरुये नालिश नम्बरी असल कीमत व सुद व खर्चा हमारी जात एव जायजाद से हर किस्म से वसूल कर लेवे हमारे को कोई उजर नहीं होगा। मुकीर आराजी मुबैया का दाखिल खारिज क्रेता के नाम से दर्ज करा देगा

3



और केता को भी अखत्यार है कि वोह खुद दरखवास्त देकर दाखिल खारिज अपने नाम से दर्ज करा लेवे। अब आज की तारिख से हमारा व हमारे वारसान का भूमि मुबैया पर कोई दावा व हक बाकी नहीं रहा है। उक्त भूमि में कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भवन बनाया हुआ है। दर्जी रहे कि इस बैनामा का खर्चा क्रेता ने अपने पास से खर्च किया है।

आसा-पासा 2529 वर्गमीटर भूमि मुबैया

उत्तर

दक्षिण

पूर्व

पश्चिम

खसरा नं. 564/251 मोहर सिंह खसरा नं. 264/251 दुर्गाराम व संडंक राजगढ़

अतः यह बैनामा बदुरुस्ती होश हवास के अपनी स्वेच्छा व सैवस्थ चेतन मन से लिखा दिया ताकि सनद रहे। दिनांक 21/08/09 वार्। शुक्रवार ब कलम राजेन्द्र कुमार डोरवाल प्रलेख लेखक राजगढ़ ने कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट कर हस्ब कहने मुकीर के लिखा पढ़कर सुनाया व

1 Van

33-

5

- 人人 的人的



समझाया। इस दस्तावेज बैनामा की छायाप्रति के भविष्य मे अस्पष्ट एवं अपट्रनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

राजेन्ड अरिवास राजेन्ड प्राचित्र हस्ताक्षर प्रथम पक्ष -

हस्ताक्षर द्वितीय पदा-


3-


साखः - सज्जन कुमार उम्र 55 साल, पुत्र श्री मालाराम जाति जाट साकिन सांखेणताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू।


Rung A

साझः - दयाचन्द उम्र 35 साल, पुत्र श्री लोकराम जाति जाट साकिन सांख्रणताल तहसील राजगढ़ जिला चूरु।


Daya Cm








भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL ফ.5000 Rs.5000 पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES राजस्थान RAJASTHAN 659613 तकमिलन स्टाम्प शामिल है। बैनामा मालियत रूपये- 15,00,000 दिनांक 21-08-2009





कार्यालय विष्ठित प्राधिकारी तस्त्रीच्यार उपनिष्ठ अन्तिका विश्वित प्राधिकारी तस्त्रीच्यार उपनिष्ठ संपरिर्वतन आदेश क्रमांक । शङाख / ०५ मस्यान साम्वताल जार्य 'पुत्र श्री राष्ट्रकार तहसील ४१जा०४ KINGUICIM के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8 (2)/8(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं : 子の大大山」の何かのは16 आवेदक साझेद्रार अभिदारी का नाम अक्टू राजिएका पता पता (1) क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : (2) संपरिवर्तन भूमि का ब्यीरा :-(क) ग्राम स्वावणातास प्राम पंचायत स्वावणातास तहसील का नाम रिवाणाह व (ख) भूमि की खसरा संख्या राष्ट्र अनियंक खसरा का क्षेत्रफल भी। १ वर्ष विधा हैक्टर में) मेरि 2529 (ग) प्रत्येक खसरा सं.....के शेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल हैयटर/वर्गमीटर में) टिप्पणी - अकृषि प्रयोजनप के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजह्वु नक्शें के सुसंगत भाग की सम्यक्तप से सलापित प्रतिस्तिंग है :- अक्ता (स्तार्ग के संपरिवर्तन का प्रयोजन्(वार्षिक्या का) अहै। रामा प्रतिक कि रिया (4) संदेय प्रीमियम की दर की - रि प्री विस भी पर (5) चालान की संख्या अपूर्व अपूर्व …तारीख… (6) जमा कराई गई प्रिमियम की एकम 10116 7 10116 2 20232 -007 चालान की संख्या .....ातरीख (7) शास्ती यदि कोई हो की जमा कराई गई स्कम चालान की संख्या नारीख (8) यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम, 12 के अधीन जारी किया गया है। (9) अन्य गिशिष्टियां, यदि कोई हों : (10) उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित वर्गी के अध्यथीन होगा : (11)(क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विक्रित प्राधिकारी की पूर्व अनुधा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। -(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालाविध के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मैं विफल रहता है तो अनुन्ना प्रत्याहूत करदी जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रिमियम धन समहत हो जायेगा। (ग) नियम 4 में यथावर्तित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (ध) लोकापयोग प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के िए जपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुझा श्राप्त किये बिना, नहीं किया जावेगा। नमाग्यासने के महम से 100 कुर केडिकर किया जाय। धकत अधिकारी विहित प्राधिकारी की मुहर तिहसीलदार गंगमा । विका कम संख्या : / राजास्व / ७५ २२-५ प्रतिलिपि, क्षा महाया पाद्यक विकास स्पान साम्यान साम्यान मार्थका प्राप्त मार्थका भार आवेदक श्री.....

अम्माराममारी माट निकासी स्मूलाताल ते रामण्ड द्वरं)

प्रमा क्ष्म २०१८ भीडी = -0 गर

XE8 XXI

12-12-17

( 12/12/05 ) 12/12/05 | 12/12/05 | 12/12/05 |

( प्रमास कार्मीय) की स्वा केया विना पार्टिंगी। क्रिया केया विना पार्टिंगी। क्रिया केया विना पार्टिंगी।

राजगङ्ग (कृत)

एर तामनी कामा न किंग्रिक जिला चूक (क्जिं) रजरगरान जाति जाट जाति जातना Ty Wiles Let 1 Marin REPRESENTATION OF THE PROPERTY To A परिचम A CALL MAN 165 13 165 ਰ मोहर तिह का खेत XII HOUSENIA राजाहाड (हाउ) व अवार) सार्वगाना NEVUT TO SITE OF A PERIOD एक माल । वर् নতধ্ত दक्षिण पालार 3 165 165 165 165

, k

Date: - 9/06/2016

LAND KHSRA NO.- 335